(86)

समक्षः– न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमॉक :

प्रस्तुति दिनॉक : 28/10/15

श्री ... द्वारा आज दि. 26/10/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग/3484-II-15

लक्ष्मीचंद अग्रवाल उम्र करीब 72 वर्ष पिता छोटेलाल अग्रवाल

निवासी चण्डी जी वार्ड हटा जिला–दमोह (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंर्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959, निगरानी विरूद्व न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय् तहसील हटा जि. दमोह, म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमॉक 75 अ/68, बर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनॉक 05.10.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय् के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।

मान्यवर्,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता ने आज से करीब 42–43 साल पहले अपने पुत्र जगदीश अग्रवाल के नाम से ख.नं. 162/1क से लगे ख.नं. 163/1 की भूमि रजिस्टर्ड बैनामा दिनॉक 02.04.1973 के जरिए मकान बनाने क्रय की थी, जिस पर

ल. प. अ.

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3484-दो/15 जिला- दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
10-6-.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह के राजस्व प्रकरण कमांक 75/अ-68/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 5.10.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2-आवेदक के अधिवक्ता को सुना गया एवं उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने अपने पुत्र जगदीश अग्रवाल के नाम से खसरा नम्बर 162/1क से लगे खसरा नम्बर 163/1 की भूमि 111 फुट x 21 1/2 फुट रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 2.4.73 के जरिये मकान बनाने हेतु कय की थी। जिस पर विधिवत नगर पालिका हटा से भवन निर्माण की स्वीकृति ली जाकर उस पर मकान बनबाया था और तभी से आवेदक उस पर बिना रोक टोक काबिज चला आ राहा है एवं उसके द्वारा किसी भी प्रकार से	

कोई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

3- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार हटा के समक्ष खसरा न0 162/1क की भूमि के संबंध में पटवारी से अतिक्रमण प्रतिवेदन पर राजस्व प्र0क0 24/अ-68/1984-85 में धारा 248 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता का विचारण हुआ था। जो काबिज न होने से व अतिक्रमण सिद्ध न हो पाने से तहसीलदार हटा द्वारा दिनांक 12.11.84 को धारा 148 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता की कार्यवाही को समाप्त कर प्रकरण खारिज कर दिया गया तथा उक्त आदेश के खिलाफ शासन द्वारा कोई अपील नहीं की गई जिस कारण से आदेश दिनांक 12. 11.84 अंतिम हो चुका है जिसके पश्चात करीब 30-32 साल बाद उसी भूमि पर एवं उन्हीं पक्षकारों के मध्य उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण चलाया जाना पूर्व न्याय रेसजूडीकेटा की श्रेणी में आता है । जिससे न्यायालय तहसीलदार को उक्त प्रकरण पुनः विचारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। साथ ही साथ 30- 32 सालों के बाद उसी भूमि के संबंध में अतिक्रमण का प्रकरण चलाया जाना भी अवधि के बहार है।

4- प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक का मकान आबादी की भूमि पर बना हुआ है। आबादी भूमि का बिस्तृत नक्शा उपलब्ध नहीं है और न ही हटा का सर्वे हुआ है । तथा ऐसी स्थिति में आबादी में जिन लोगों के मकान पूर्व में ही बने थे उन लोगों को ही उनकी भूमि का भूमिस्वामी माना जाना न्यायसंगत है। जब कि प्रश्नगत भूमि खसरा न0 162/1क रकबा 1.295 है0 भूमि मुकद्मा न0 15/अ-65/64-65 में कलेक्टर दमोह द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 13.1.66 के अनुसार घास से आबादी घोषित की जा चुकी है इसके अलाबा उक्त प्रकरण में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 248 की प्रकिया आवश्यक तथ्यों नक्शा, फील्डबुक, पंचनामा आदि का भी विधि के अनुसार पालन नहीं किया गया है। जबकि बैजा कब्जा सिद्ध करने की जिम्मेदारी शासन की है।

5- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह भी कहा गया है कि खसरा न0 162/1क के चारो ओर घनी बस्ती है व मकान आदि बने हुये हैं जिससे आज तक उक्त प्रश्नागत भूमि का वैद्यानिक सीमांकन ही हो पाया है एवं धारा 248 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधान आबादी भूमि पर लागू नहीं होते हैं जबकि उस

भूमि पर इमारती संपत्ति खडी हो जैसा कि न्याय दृष्टांत म0प्र0 राज्य विरूद्ध उत्तम चन्द एवं अन्य जे0एल0जे0 2000 भाग-2 नोट 143 में प्रतिपादित किया गया है।

6- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर व आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुये यह निगरानी स्वीकार की जाती है और उक्त प्रकरण में तहसीलदार हटा का आदेश दिनांक 5.10.2015 निरस्त किया जाता है व आवेदक के विरूद्ध लंबित अतिक्रमण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(एम. के. सिंह)

सदस्य